

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

दर्शक या अधिकार सुनायावाच अधिकारी
मंडलीकरण के नाम से नाम द्वारे न
हो सकती अथवा वास्तविक हो सकती है।
अधिकारी अधिकार या दूसरे नाम से वा
नाम से दूसरे नाम से वा वास्तविक एवं वास्तविक
अधिकारी जिसके नाम हो सकता है।



प्राप्त : उपर्युक्ती
दृष्टि : १०२१-०७८१-२४२२८०१
२४२२४६२ (फ़ैक्टर)
फ़ैक्टर : ०८०१-०७८१-२३४१७६९
E-mail : jureg_gwli@rediffmail.com
Website : <http://www.jrwji.edu>

प्राप्तका :
प्राप्तकारी
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एक/सम्बन्धित/२०१२/ ५५५२

दिनांक : १३/१२/१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २६(i)(v) एवं २४(xii) को अन्वानी अवर्धनिक की
देख विनांक ०७ अगस्त, २०१२ के पद क्रमांक (१६) के विरोधानुसार इस्तीफ़ादूर और प्रोफेसरल
स्टॉफ़, कॉलेज और रिजिस्टरेटेड प्रैन्चुरेशन, व्यालियर को अन्त २०१२-१३ के लिये प्रस्तावित/संगतित
एवं यी एवं प्राप्तक्रम के लिये अन्वानी नामांकन विज्ञ शर्तों के लाय प्रदान की जाती है।

शर्ते एवं प्रतिबंध :-

१. एल.सी.टी.ई. को मानदण्डों ले अनुसार विद्यालय की विद्युपति की जाते।
२. अनुसूचित प्रयोगशालाओं को विकसित किया जावे।

आदेशानुसार

कुलसमिति

प्रति,

१. प्राप्त, इस्तीफ़ादूर और प्रोफेसनल टर्टीज, कॉलेज और रिजिस्टरेटेड प्रैन्चुरेशन, व्यालियर
२. समिति, राष्ट्रीय अध्यायक विद्या परिषद्, मानस भर्ज, श्यामला टिला, ग्रोपाल
३. आमुक, मध्यप्रदेश साधन, उच्च विद्या विभाग, हाल्युड भर्ज, अगोला।
४. श्रीराम अतिथिका संबोधक, गणपत्रेश शाहन, उच्च विद्या विभाग, अविभाग-वंशवत रामान, भोटी नहल
परियार, व्यालियर।
५. नग-नूनलवित (वीक्षा/लोगोजी) जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यालियर।
६. अधीक्षक, परीक्षा अकादमी-०३, तीक्ष्णवी विज्ञानालय, ज्ञानिकार्य की ओर सुरक्षार्थ एवं आवश्यक
तरीकोंही हेतु।

सहायक कुलसमिति (सम्बन्धित)